| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>**देवीसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 308 / 2022 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01-11-2022 | अपीलार्थी देवीसिंह निवासी ग्राम भालू जवाहरपुरा, भालू राजवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.08. 2022 में (1) मैने तारीख 18.07.2022 को तहसील कार्यालय सेखाला को रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन दिया था एवं दिनांक 22.07.2022 को पटवारी मौका रिपोर्ट जमा करवाई थी। करीब 35 से 40 दिन बादभी रास्ता अवरोध यथा स्थिति बरकरार है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1637 दिनांक 21.09.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना तहसील कार्यालय सेखाला से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सेखाला को इस कार्यालय के पत्रांक 1421 दिनांक 26.08.22 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सेखाला को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा तहसीलदार सेखाला द्वारा सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार सेखाला ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |